कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)
E-Mail – eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक 571 / वनभूमि दिनांक 6 /04 / 2015

सेवामें,

उपनिदेशक गोविन्द वन्यच जीव विहार
/राष्ट्रीय पार्क पुरोला।

**विषय :–** **मा0 मुख्य मुंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह सेतु का मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

**सन्दर्भ :–** **आपका पत्रांक 1295/13–2(11) दिनांक पुरोला 26/3/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कमं में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी के प्रारूप 2 के बिन्दु सं0 2 प्रारूप 3 के बिन्दु सं0 (।।।) बिन्दु सं0 18 के (।।।) बिन्दु सं0 21 (II, III. IV and V) प्रारूप 7 के 5.1ए0 5.2 तथा प्रारूप 15 के वन ब्लॉक के सम्बन्धित सूचना प्रपत्रों पर भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। 2 सेट 6 Nos

O/C

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

Received 6/4/2015

# प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

**परियोजना विवरण :–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।**

1-

| | |
|---|---|
| क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.224 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। |
| ख) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | प्रस्ताव में सलंग्न है। |
| ग) परियोजना की लागत | रू0 3.36 लाख |
| घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | इस परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है। |
| ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) | 5.00 है0 से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है। |
| च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | लगभग 9568 रोजगार दिवस उपलब्ध होंगे। |
| 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण : | संरक्षित वनभूमि : 0.224 है0,<br>सिविल सोयम भूमि – – है0<br>योग – 0.224 है0 |
| 3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है | शून्य |
| क) परिवारों की संख्या | – |
| ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | – |
| ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) | – |
| 4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं) | आवश्यकता नहीं है। |
| 5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाय) | प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण अथवा दण्ड स्वरूप लागत के साथ राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत आदि क्षेत्र में पुनः वनीकरण हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा जो भी मांग की जायेगी लोक निर्माण विभाग देने हेतु वचनबद्ध है।<br>प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा | भारत सरकार की गाइड लाइन्स् के अनुसार सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव में संलग्न है। |

दिनांक......................

स्थान :– पुरोला

| | | |
|---|---|---|
| (त्रेपन राणा) | (आर0एस0 पंवार) | (सी0पी0 सिंह) |
| कनिष्ठ अभियंता | सहायक अभियंता | अधिशासी अभियंता |
| नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला | नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला | नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला |

## प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन सरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

**परियोजना का नाम :–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।**

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र :– राज्य।

II. जिला उत्तरकाशी।

III. जिला वन प्रभाग गोविन्द वन्य जीव विहार/ राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र – संरक्षित वनभूमि 0.224 है0

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: :– संरक्षित वनभूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

I. वन का प्रकार – चीड़ व कुनीश

II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व – 0.15

III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना – Pinus roxburghii = 4 वृक्ष Alnus nepalensis = 1 वृक्ष कुल 5 वृक्ष

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा – स्टील गर्डर सेतु

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी – सामान्य

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :– संरक्षित भूमि

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

I. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : शून्य

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) – प्रस्तावित भूमि वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग है।

III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है।

IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) – प्रस्तावित भूमि वन्य जीव अभ्यरण्य का भाग है।

V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे – प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि पर वनस्पति ओर जीव जन्तु के अलग अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां नहीं है।

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) –नही है।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

I. क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है– हॉ

II. यदि नही तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण मे अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरूद्ध की गई कार्यवाही

III. क्या अतिक्रमण मे कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)– नही

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : आवश्यकता नही

I. क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति : आवश्यकता नही

II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें : आवश्यकता नही

III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

I. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)– नही

II. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

III. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नही) – नही

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)–नही

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिषें

स्थान: हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रातारीख:

**जनहीत मे प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।**

वन्य जीव प्रतिपालक
गोविन्द वन्य जीव विहार
पुरोला, उत्तरकाशी

Dy Director
Govind Wild Sanctuary Park
Purola Uttarkashi

प्रारुप–7

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF**
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Construction Division, P.W.D. Purola for diversion under FCA-1980) of 0.224 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of 42 meter Span Steel Girder Motor bridge over Rupin river at Dhaula place in block Mori, Under CM Ghosna No. 394/2013. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 01-11-2014

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.224 ha. – Poratected forest Area – 0.224 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. - Yes

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:- No

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- No

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. Land diversion proposal reccommended.

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:- Purola

Name (Bijulal)

Date 1-11-2014
Designation : D.C.F.

Dy. Director
Govind Wild Sanatuar. Park
Purola (uttarkashi)

Office Seal

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रारुप–15

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)
संरक्षित वन भूमि

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।

| जिला | वन प्रभाग का नाम | वन राजि का नाम | वन ब्लाक का नाम | परियोजना की लम्बाई (मीटर में) | चौड़ाई (मीटर में) | क्षेत्रफल (हे0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तरकाशी | गोविन्द वन्य जीव विहार/ राष्ट्रीय पार्क, पुरोला | रूपिन रेंज | पर्वत बीट एवं सेवा बीट<br>धौला वन खण्ड क0 सं0–1<br>हड़वाड़ी वन खण्ड क0 सं0–3 | 248.00 | 9.00 | 0.224 |

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

उपनिदेशक
गो0व0जी0वि0, पुरोला

वन्य जीव प्रतिपालक
गोविन्द वन्य जीव विहार
पुरोला, उत्तरकाशी

तहसीलदार
पुरोला

वन क्षेत्राधिकारी रुपिन रेंज
नैटवाड़ (उत्तरकाशी)

उप जिलाधिकारी
पुरोला
जिला उत्तरकाशी

Dy. Director
Govind Wild Sanctuary Park
Purola Uttarkashi

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी